



## जनपद हमीरपुर

प्रेस नोट- थानाराठ

दिनांक 22.04.2026

थाना राठ पुलिस द्वारा केस नं0-101/2011, अ0सं0 250/2009, धारा- 307/506 आईपीसी व मुकदमा सं0- 1843/2018, अ0सं0 36/2018, धारा- 380/411 भादसं से सम्बन्धित 05 वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-

### पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 22.04.2026 को थाना कोतवाली राठ पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण 1.रघुवंश यादव पुत्र केदार यादव 2.प्रहलाद पुत्र परमलाल साहू 3.मदनगोपाल पुत्र दशरथ 4.श्रीमती पुष्पा पत्नी अरविन्द साहू निवासीगण छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर सम्बन्धित केस नं0-101/2011 अ0सं0 250/2009 धारा 307/506 आईपीसी थाना राठ व वारण्टी अभियुक्त भूपेन्द्र प्रजापति पुत्र भगवानदास प्रजापति निवासी ग्राम अतरौलिया थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 30 वर्ष) सम्बन्धित मुकदमा सं0 1843/2018 अ0सं0 36/2018 धारा 380/411 भादसं थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।



### गिरफ्तारी का स्थान-

भिन्न-भिन्न

### गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1.रघुवंश यादव पुत्र केदार यादव निवासी छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर ।
- 2.प्रहलाद पुत्र परमलाल साहू निवासी छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर ।
- 3.मदनगोपाल पुत्र दशरथ निवासी छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर ।
- 4.श्रीमती पुष्पा पत्नी अरविन्द साहू निवासी छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर ।
5. भूपेन्द्र प्रजापति पुत्र भगवानदास प्रजापति नि0 ग्राम अतरौलिया थाना राठ जनपद हमीरपुर ।